THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Now, we shall take up the Cigarettes (Regulation of Production, Supply and Distribution) Amendment Bill, 1997. Shri Dave.

THE CIGARETTES (REGULATION OF PRODUCTION, SUPPLY AND DISTRIBUTION) AMENDMENT BILL, 1997

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात): मैं प्रस्ताव करता हूं किः

"सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1975 की परिधि में गुटका और खैनी जैसे अन्य तम्बाकू उत्पादों को सम्मिलित करके उसका संशोधन करने तथा उसके क्षेत्र में विस्तार करने तथा उससे संबंधित विषयों संबंधी विधेयक पर विचार किया जाए।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस सदन में एक ऐसा बिल ला रहा हूं जिसमें सारे समाज का, सारे देह्स के स्वास्थ्य का सवाल है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) पीठासीन हुए]

जब तक लोगों का स्वास्थ्य अच्छानहीं होगा तब तक देश की तरक्की नहीं हो पाएगी। जिस तरह की तरक्की हम चाहते हैं वैसी तरक्की नहीं हो पाएगी। इसी वजह स यह बिल, जो सिगरेट, खैनी, जर्दा पर मैं ला रहा हूं, इसे लाना मैंने आवश्यक समझा। कई साल से इस सदन में मैं यह सवाल उठाता रहा हूं। मैंने स्पेशल मेंशन किया, जब हमारी माननीया रेणुका चौधरी जी मंत्री थीं, मैंने कई बार यह सवाल उठाया कि सिगरेट पर प्रतिबंध होना चाहिए।लेकिन जो सिगरेट पर लेवी है वह इतनी पावरफुल है कि हमारे देश में इसे कोई रोक नहीं सकता। छोटे-छोटे गांवों में सिगरेट, बीडी, जर्दा, पान-मसाला, गुटका आदि की वजह से सारी दुनिया में एक माहौल घर कर गया है। डब्ल्यू0टी0 ओ0 ने भी इस पर प्रश्न किया। जबकि परिणाम यह है कि हर साल एक लाख लोग कैंसर से हमारे देश में मरते है।इसकी सीधी वजह यह खैनी, गुटका और सिगरेट है। हमारी सरकार इसके पीछे करोड़ों रुपया खर्च करती है। गांवों में जहां पर गरीब लोग रहते है उनको पता नहीं होता कि यह सब क्या चीजें है लेकिन जब कैसर होता है, उनको बड़े-बड़े अस्पतालों में भर्ती करना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। इस बारे में दिल्ली सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है जो उसने पब्लिक पेल्सेअस पर सिगरेट पीने पर प्रतिबंध लगाया है। कई और सरकारें भी ऐसा ही कर रही है और पब्लिक आफिसेज में, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में सिगरेट पीने पर , गुटका खाने पर प्रतिबंध है। इस बारे में यह सब कुछ हुआ है लेकिन अभी इस विषय पर बहुत कुछ करना बाकी है

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह हमारे देश्के सामने एक बहुत गंभीर सवाल है। आज हमारे देश में इस रोग से, कैंसर से जो ग़ुटका खाने,सिगरेट पीने से , जर्दा खाने से होता है, बहुत बडी संख्या में लोग प्रतिवर्ष मर जाते हैं। टाटा मेमोरियल के एक्सपर्टस ने मुंबई म्युनिस्पल कारपोरेशन के जो हेल्थ विभाग के चेयरमैन है उनको अपनी रिपोर्ट दी थी और इस बारे में उन्होंने पेटीशन भी दायर की थी। उसमें उन्होंने कहा है कि इसकी वजह से लोग कितने परेशान हैं और एक लाख लोग हर साल हमारे देश में कैंसर से मर जाते हैं और एक लाख से ज्यादा लोग अन्य बीमारियों, गुटका , सिगरेट और जर्दे कि वजह से परेशान है। लेकिन आज तक हमारी सरकार ने इस बारे में न कुछ सोचा है और न इस बारे में कोई कदम उठाया है जो कि बहुत बडी दुखद बात है। महोदय, इतने विज्ञापने रोज आते हैं। मुझे यह कहने में बहुत दुख होता है कि हमारे देश के क्रिकेट खिलाडी जो लोगों लगाते हैं- हमें अपने खिलाडियों पर गर्व है, वे अच्छा खेलते हैं। लेकिन स्पोर्ट अथारिटी सरकार, समाज के बड़े लोगों को, एन0जी0ओज0 जितने भी ऎसे लोग हैं उन सब को मिलकर एक आवाज उठानी चाहिए कि यह लोगों बंद होना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश में बडी कंपनियों के पास पैसा है और वे अधिक पैसा देकर इस तरह के एडवर्टिजमेंट दे रहे है। आप चले जाइए, बाजार में और वहां जाकर कहें कि 555 दीजिए तो वह आपको सिगरेट निकाल कर आपके हाथ में दे देगा। ऎसा क्यों होता है? यह सब एडवर्टिजमेंट की वजह से होता है । इसके लिए उनको कानून केवल उसके पीछे छोटे अक्षरों में लिखना होता है कि सिगरेट इज इंजूरियस टु हेल्थ। यह छोटे छोटे लेटर्स में लिखा जाता है जब कि उसका एडवर्टिजमेंत बहुत बड़ा होता है। मैंने अपने स्पेशल मेंशन में कहा था कि गांवों में लोग अनपढ़ होते हैं। उसके पीछे क्या लिखा है उसको वह नहीं पढ़ सकते। इसलिए ऎसा लिखने की जगह यह किया चाहिए कि जितना बड़ा एड वह देते हैं उतने ही बड़े साइज में जिस साइज में वह अच्छे अच्छे लड़के लड़कियों की फोटो लगाते हैं तो उसी तरह से कैंसर से पीडित व्यक्ति का चित्र भी उसके साथ देना चाहिए कि इसकी वजह से यह हुआ। तभी गांव के लोगों को पता चलेगा कि इसके क्या नुकसान हैं। जब तक उनको यह वार्निंग नहीं दी जाएगी तब तक इसका कोई असर नहीं होगा। मदोदय, मैं इस सदन के माध्यम से अपने देश के सभी पत्रों, सभी मैगजीन्स से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग इनको निकालते हैं उन सभी लोगों को यह तय करना चाहिए कि किस तरह से इस देश का स्वास्थ्य बच सकता है और इसमें उनका क्या योगदान हो सकता है। इसके लिए हमको कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। डब्ल्यू0एच0ओ0 ने अपने एक सर्वेक्षण में बताया है कि 2020 तक पर इयर 10 लाख लोगों की मृत्यु होगी। यह कोई मामूली घटना नहीं है। उन्होंने सोच-समझकर यह सर्वेक्षण किया है। सारी दुनिया में जो जो बड़े देश हैं इन सब देशों में बडी बडी कंपनियां हैं। गुटका जो बनाते हैं वे सब जो गरीब देश हैं उनकी तरफ मुड़ गए हैं क्योंकि अमीर देशों में इस बारे में कड़े कानून हैं। गरीब देशों में इतने कड़े कानून नहीं हैं। अमेरिका में ऎसा कानून है कि अगर कोई इससे मर जाए और उसके संबंधी उस कंपनी के खिलाफ केस दायर कर दे तो उस कंपनी को

उसे एक बहुत बडी रकम देनी पड़ेगी। यहां ऐसा कोई कानून नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक छोटा सा कानून है, रेगुलेशन है, उसमें मैंने अमेंडमेंट दिया है। मेरा छोटा सा अमेंडमेंट यह है कि एडवरटाइज़मेंट इस तरीके से करिये कि जिससे लोगों में ज्यादा अवेयरनेस आए। यह भी मैंने कहा है कि सिगरेट को बंद कर दो, क्या जरूरत है इस गरीब देश में? डब्ल्यु0एच0ओ0 के पास दुनिया भर के किसान गए थे। कई लोग कहेंगे कि हमारा भारत एक गरीब देश है। मैं जानता हूं उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और हमारे गुजरात में भी जहां पर तम्बाकू की खेती हो रही है वहां के बहुत से लोगों को इससे रोजी रोटी मिल रही है लेकिन मान्यवर में यह कहना चाहता हूं कि एक सर्वेक्षण के मुताबिक यह सामने आया-

> "According to official sources, pentents with tobacco related diseases spent Rs. 2,830 crores in their treatment in 1999 whereas the revenue generated only Rs.2,353 crores."

सरकार को जितना रेवेन्यु तम्बाकू से मिलता है उतने पैसे तो हम उसकी दवाओं के ऊपर खर्च रहे हैं।

डब्ल्यू0एच0ओ0 के जो अधिकारी थे, उनके पास दुनियां भर के उत्पादक गए, उनके सामने अपनी समस्या रखी कि हम क्या करें । दुनिया में इतने देश नहीं है जो तम्बाकू पैदा करते हैं, उन्होंने कहा कि हम कहां जाएंगे। डब्ल्यु0एच0ओ0 ने जवाब दिया कि हम यहां इसलिए नहीं बैठे हुए हैं कि जितने लोग मरते रहें हम उनकी सिर्फ गिनती करते रहें, हमें भी कुछ रास्ता निकालना है। मान्यवर, पहली बार हिन्दुस्तान में बिजनौर के जो राजा साहब थे 1600 ई. में मुगल सम्राट अकबर के टाइम में बीडी की शुरूआत की। जहां गीर ने 1617 में यह समस्या इतनी गम्भीर हो गई कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्कूलों के आजू-बाजू गुटखा, खैनी, जर्चा और तुलसी आदि मिल जाते हैं और बच्चे इसके इतने अडिक्ट हो जाते हैं कि उनके मुंह नहीं खुलते हैं और बच्चे जब मेजोरिटी एक्वायर करते हैं तो ऐसे बच्चों में ज्यादातर कैंसर हो जाता है और उनका कोई इलाज नहीं है। सरकार द्वारा इतने पैसे खर्च करने के बाद भी कोई इलाज नहीं है। हमारे यहां किसानों की जो लॉबी है, हम उसको समझा सकते हैं। हमारे देश में जहां तम्बाकू की खेती होती है हमारे पास कृषि अनुसंधान के इतने एक्सपर्ट लोग हैं जो यह बता सकते हैं कि आप किसी न्यी क्राप में चले जाइये। जितने पैसे हम खर्च कर रहे हैं उतने पैसे उनको ओर दे दीजिये, दिशा बदल दीजिये। जब तक यह नहीं होगा तब तक हमारे देश के सामने इस गम्भीर खतरे का हम मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसका रास्ता ढूंढने के लिए मैंने कई बारे यह मामला हाऊस में उठाया । सरकार हर वक्त

यह कह्ती रही कि हम कुछ करेंगे, कुछ करेंगे। इस के लिए कमेटी भी गठि की गई थी। उस कमेटी ने जो कहा है, मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाता हूं-

> 'The Committee's Report has drawn its conclusion on the basis of studies conducted by the three institutions on the adverse effects of consumption of chewing tobacco, *gutka* "

The National Institute, Nutrition, Hyderabad, and the Regional Cancer Institute, decided this in collaboration with each other. अब आपने जो अभिप्राय दिया है यह नहीं चाहिये। मिनिस्ट्री में यह सारी बातें पडी हुई हैं लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आज दिन तक क्यों इस पर कुछ नहीं हो रहा है। मैंने जो इस विषय पर प्रेस कटिंग्स पढ़ी हैं, उनसे ऎसी बात निकल रही है कि यह जो तम्बाकू की लॉबी, सिगरेट की लॉबी अपने देश में है, यह इतनी पावरफुल है कि कोई कुछ नहीं कर सकता है लेकिन अब मुझे इस सरकार पर एक विश्वास है, एक उम्मीद है। जब लोगों की चुनी हुई सरकार यहां आई है-लोगों का स्वास्थ्य इस सिगरेट, तम्बाकू और गुटके की वजह से बिगड़ता जा रहा है तब यह सरकार इस दिशा में कुछ न कुछ कदम उठाएगी, ऎसा मेरा पूरा भरोसा और विश्वास है।

मान्यवर, मैं टाटा मेमोरियल सेंटर ने जो दो-तीन बातें हैं वे कहूंगा —- (a) Tobacco usage ranges from 33 per cent to 80 per cent among the Indian men and women. (b) 86 per cent tobacco is smoked in the form of bidi, cigarettes, gutka and khaini. There is a strong relation between tobacco use and its effect on the upper track and respiratory track. लास्ट में उन्होंएन कहा है--The World Health Organisation has sounded a note of warning that tobacco use is on the increase in South-Asia, including India. And 90 per cent of oral cancer in this region is attributed to tobacco use only.

मान्यवर, ये बातें टाटा मेमोरियल सेंटर के उनके क्वालीफाइड डाक्टर्स और रिसर्च करने वाले लोगों ने बतायी है। सरकार के पास ये सब बातें हैं। कमेटी ने भी अपना अभिप्राय दे दिया है। फिर मुझे समझ में नहीं आता है कि यह सरकार क्यों इस बारे में कुछ कदम नहीं उठा रही है। तो मैं आपके जरिए और इस सदन के जरिए इस सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस देश की जो युवा पीढ़ी है उसका स्वास्थ्य बचाने के लिए कुछ करें। जहां तक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो वहां तक हम कुछ आर्थिक उन्नति भी नहीं कर पाएंगे। देश की युवा पीढी इन सब बातों से खत्म होने जा रही है। चाइना में भी यही प्राब्लम है। हर साल 75 हजार लोगों की डेथ वहां हो रही है। वे लोग भी सोच रहे हैं कि हमें इनका साल्यूशन किस तरीके से करना है। फारेन कंट्रीज ने तो पांबदी कर दी है लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं यह बडी दुखद घटना है। मेरी सरकार से आपके माध्यम

से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इस बारे में सोच कर कुछ करें। आपके पास सभी बातें आ गयी हैं, कमेटी का रिपोर्ट हैं, स्टडीज हैं, रिसर्च इंस्टिटयूट्स हैं, जो ओपीनियन चाहिए वह है, एन0जी0ओज0 के जितने भी अभिप्राय चाहिए वे हैं। ये सब हैं इसलिए एक बारे और प्रयत्न कर लीजिए। लेकिन इस लाबी के दबाव में मत आइए। यह लाबी जो पावरफुल लाबी इस देश की युवा पीढी और युवा वर्ग को खत्म करने जा रही है उससे लड़ना है। इस वजह से कुछ न कुछ इस दिशा में प्रयत्न करना है।

मैंने जो बिल रखा है इस बिल पर इस सदन के सभी सदस्य बोलेंगे और इसका समर्थन करेंगे। मुझे विश्वास है कि इस देश के युवा वर्ग को अगर नहीं बचाएंगे तो आर्थिक उन्नति नहीं होगी। देश को आगे ले जाने के लिए ऐसे कानून की इस देश में अभी जरूरत है ऐसा मेरा विश्वास है इसलिए मैं यह बिल पेश कर रहा हूं।

77ie *question was proposed*

SHRI EDUARDO FALEIRO (Goa): Mr. Chairman, I would like to congratulate the hon. Shri Dave, and really thank him on behalf of millions of people who suffer from this disease as a result of heavy smoking, I being one of those millions in this country and all over the world. It is a terrible habit. In fact, we have not understood the implications of this intoxicating substance. A lot of respiratory diseases and asthma are the result of smoking. The classic example is of Marlborough. Marlborough is a world famous American cigarette. It was extremely popular in earlier times when smoking was fashionable. In my younger days, the previous generation, in rhe movies we used to see these actors and actresses smoking and they were supposed to be intellectuals. If you smoke, you are supposed to be an intellectual. You are considered to be an intellectual not by reading but by smoking and sitting in cafes and other places talking about everything and, sometimes, about nothing. There was this Marlborough and this Marlborough was made propular through advertisement where the Marlborough man would go on a horse through great deserts and smoke. He was a virile, tall and handsome looking person. The Marlborough man died and he died of cancer of the lungs as a result of smoking. That practically illustrates what many people like me and many others are suffering as a result of smoking. It'is a tremendous thing and something must come from the hon. Minister. Let us not say, "Well, it is all very good and we shall surely do something in the next millennium". No, let us do

something concrete. What concrete things can be done? What is done all over the world? I can mention my little State which has brought a legislation prohibiting smoking in public places. In Government offices and public places, if you smoke, you will be fmed, and sometimes, heavily. Therefore, I am extending my support to this Bill. I am aware, from my own situation, of the tremendous injurious effects of smoking. Therefore, let us have a legislation. If you ask the Member to withdraw this Bill, I would plead with you and urge upon you, on behalf of the millions of people who are already sick as a result of smoking and on behalf of the other millions who will be sick if you don't do anything, to do just this tiny, little thing of prohibiting smoking in public places and imposing a fine on whosoever breaks this law in Government and other public places. If you do this in your Government offices and the Union Territories under you, if you kindly send a circular to all States requesting to bring a legislation prohibiting smoking in public places, it will be a small beginning. It has been dpfle in my small State. Surely, this can be done in other States with much greater resources. Therefore, 1 appeal to you to do all this and to discourage all this publicity of cigarettes and other smoking substances and chewing tobacco substances. They do it in schools. As Mr. Dave has pointed out, all the get-togethers of young people are sponsored often by tobacco companies and they play and have a merry time, and then they get used to smoking which destroys their life. I plead with you, whatever you may say about this legislation at the end of the debate, kindly announce some concrete steps in the simplest terms, as I have stated, prohibiting smoking in public places and imposing a fine on those whp break the law.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, इस विधेयक का समर्थन तो मैं करूंग, लेकिन कुछ विषय जो सदन में विधेयक प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाता है, उन पर हम चर्चा करते हैं, उन का समर्थन करते हैं, लेकिन उन का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारे देश में कई निर्णय बदले गए हैं, लेकिन उन के अच्छे परिणाम नहीं निकले।

महोदय, बीडी, सिगरेट, पान की सुपारी, चरस, गांजा, भांग सुलफा, अफीम, शराब, स्मैक, गुटका,बीडी- ये सभी चीजें नशा करने वाले का मानसिक संतुलन बिगाड़ती हैं और जब व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो वह गुस्सा करता है, अपराध करता है। और इसीलिए यह सारी चीजें हमारे देश में बढ़ रही हैं। मैं इस विषय पर आगे से पहले अपने दो अनुभव आपको बताना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश की सरकार और हरियाणा की सरकार, इन दोनों

सरकारों ने शराबंबदी की थी, लेकिन शराबबंदी नहीं हुई और शराब घरों में पहुंचने लगी, शराब की तस्करी होने लगी, माफिया गिरोह पैदा हो गए, राजनीति में प्रवेश कर गए और अंततोगत्वा इन दोनों सरकारों को वह निर्णय वापस लेना पड़ा। ऎसा क्यों हुआ? क्योंकि जिस कारण से लागू किया गया था उसका निदान नहीं हुआ और सरकार का राजस्व भी कम हो गया। हम बहुत सी चीजों की अनुमति इसलिए देते हैं कि उत्पादनकर्ता को धन मिलता है, बनाने वालों को या काम करने वालों को रोजगार मिलता है और सरकार को राजस्व मिलता है। यह तीनों ही चीजें वास्तविक हैं। इंडस्ट्रियालिस्ट अगर इंडस्ट्री बंद कर दे तो कैसे जिंदा रहेगा, रोजगार के बिना आदमी कहां से खाएगा और सरकार राजस्व के बगैर कैसे चलेगी। यह भी एक वास्तविकता है, लेकिन क्या कोई इस प्रकार की व्यवस्था संतुलन बनाए जाने के लिए की जा सकती है? जी, की जा सकती है।

उपसभाध्यक्ष जी, अब मैं इस माननीय सदन को थोड़ा सा हँसाना चाहता हूं । एक बीडी बेचने वाला था, जो बीडी बेच रहा था और कह रहा था मेरी बीडी पीने वाले को तीन फायदे होंगे। किसी ने पूछा कौन-कौन से? कहा कि मेरी बीडी पीने वालों को कुत्ता नहीं काटेगा, दूसरा यह कि मेरी बीडी पीने वालों के घर में चोरी नहीं होगी और तीसरा यह कि मेरी बीडी पीने वाला कभी बूढ़ा नहीं होगा। मुझ जैसा एक आदमी उसके पास चला गया और उसने कहा कि तेरी बीडी नहीं बिकने दूंगा,जब तक तू तीनों बातें पूरी तरह नहीं समझा देता। उसने कहा कि बीडी में जो तम्बाकू होता है, उसके जल जाते हैं, कभी कभी आग गिरती है और उससे आग भी लाग जाती है, दुकानें जल जाती हैं, यह तो होता ही है, लेकिन जब फेफड़े खराब हो जाएंगे तो टीबी हो जाएगी और जब टीबी हो जाएगी तो वह इतना कमजोर हो जाएगा कि लाठी टेक कर चलेगा। जब लाठी टेक कर चलेगा तो कुत्ता नहीं काटेगा। उस आदमी ने कहा कि चालो, यह बात मान ली, मगर दूसरी बात क्या है? उसने कहा कि जब टीबी हो जाएगी तो रात भर खाँसेगा और खुल-खुल करेगा तो चोर नहीं आएगा क्योंकि आदमी जगा हुआ है और इसलिए उसके घर चोरी नहीं होगी। तीसरी बात पूछी कि देखो, यह दोनों बातें तो समझ में आ गई, लेकिन बूढ़ा नहीं होगा, यह समझ में नहीं आया। तब उसने कहा कि तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। आरे, इतना कमजोर हो जाएगा टीबी से, कि जवानी में ही मर जाएगा, बूढ़ा होने का नंबर ही कहां जाएगा।

तो, उपसभाध्य जी, यह हो रहा है। अब जो राजा हो चोरी करे, न्याय कौन पर जाए । जब हम कानून बनाने वाले ही यह काम कर रह एहैं, मेरे साथी चले गए उठकर, मैं रोक रहा था उन्हें, चैन-स्मोकर हैं, ऎसे यहां कई मैम्बर हैं पार्लियामेंट के और 50-60 परसेंट तो तम्बाकू खाते हैं या गुटका खाते हैं पार्लियामेंत के मैंम्बर, तो कैसे चलेगा। हम कानून पास कर रहे हैं या

खिल्ली उड़ा रहे हैं, हम मजाक बन रहे हैं, अपना मजाक बनवा रहे हैं। कम से कम पहले तो हम ही यह प्लेज लेम। ....(व्यवधान).... में किसी का नाम नहीं लेना चाहता। पहले हम खुद सिगरेट पीना बंद करें, तम्बाकू या गुटका खाना बंद करें, कुछ तो आर्दश प्रस्तुत करें, नहीं तो यह कह दें कि इस विधेयक को वापस लीजिए, हम इसका समर्थन नहीं करते। हम अगर कुछ आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो ही जनता में लोग उसका अनुसरण करेंगे।

दूसरी बात, उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि टेलीविजन में जिस समय खबरें आती हैं उस समय कोई एडवर्टाइजमेंत नहीं आना चाहिए या सांइस एंड टैक्नोलोजी की शिक्षा के समय भी बाकी सबसे ज्यादा नशीली चीजों का प्रचार टेलीविजन पर होता है और आप कहते हैं कि मांप-बाप जो तम्बाकू या नशे की चीजें इस्तेमाल करते हैं, उनके बच्चे उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब वे टेलीविजन पर देंखेंगे या लड़के से उसका बाप कहेगा कि जरा माचिस लाना सिगरेट जलाना है और लड़के से या लड़की से माचिस मंगाकर जब उसका बाप सिगरेट जलाएगा तो घर के बच्चे कैसे मान जाएंगे? कुछ बातें तो ऎसी हैं जो लोग जान-बूझकर करते हैं। सिगरेट के पैकेट पर लिखा रहता है कि 'सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है' अगर कोई बगैर पढ़ा-लिखा रहता है कि 'सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है' अगर कोई बगैर पढ़ा-लिखा पीए तो मेरी समझ में आता है कि वह पढ़ नहीं सकता लेकिन डाक्टर, एंडवोकेट आई0ए0एस0 आई0पी0एस0., ब्यूरोक्रेट्स, जज, मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट, एम0एल0ए0 या कोई पढ़ा-लिखा आदमी जब पीता है तो मैं समझता हूं कि वह जान-बूझकर पी रहा है। तो फिर जो आदमी स्वयं कानून बना रहा है, वह ही कानून को तोड़ रहा है, ऎसे कानून को कोई नहीं मानेगा। यह अपना मज़ाक, हमारे देश का मज़ाक, इस सदन का मज़ाक है। मैं जब कभी भी कोई बात कहता हूं तो वह कहता हूं जिसका कि मैं अपने जीवन में अनुसरण करता हूं। में कभी बीडी, सिगरेट, शराब पीने वालों को घर में नहीं घुसने देता और मैंने कभी कम वोट नहीं पाए पब्लिक में जाकर। पांखड, आडम्बर, अधर्म, अंधविश्वास, कुरीति, कुचलन, असमानता और वे बातें जो आदमी के चरित्र को, ईमान को, शरीर को बिगाड़ती हैं, मैं उनके खिलाफ प्रचार करके वोट मांगता हूं हर इलेक्शन में हर जगह जाकर के और वहां संख्या ज्यादा से ज्याद होती है। मैं पिक्चर भी नहीं देखता कभी, 30-40 साल हो गए टी0वी0 पर मैं कभी पिक्चर नहीं देखता क्योंकि कोई अच्छी चीज़ पिक्चर से मिलती नहीं, उसे देखकर लोग तबाह हुए हैं, कोई एक बना हो तो बता दें। ये चीजें बुरी लगती हैं क्योंकि लोग इनका अनुसरण करते हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि बातें तो बडी अच्छी हैं किन्तु हम कारणों का निदान करें नहीं तो यह ठीक नहीं है। तम्बाकू के ऊपर एक बड़ा सेमिनार हुआ था और 'नो टोबेको डे' मनाया गया, सारी दुनिया के डाक्टरों ने यह कहा कि कैंसर ९९ प्रतिशत तम्बाकू से होता है और बहस इस सदन में हो रही थी कि कैंसर के अस्पताल खोले जाएं। कैंसर के अस्पताल खोलो, अरबों-खरबों रुपया अपने पास है नहीं, विदेशों से भीख मांगकर लाओ। बजाए कैंसर के अस्पताल खोलने के हम यह प्रचार क्यों न करें कि तम्बाकू का सेवन न

किया जाए, तम्बाकू का सेवन बंद हो।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मैं आर्य समाज का प्रचारक रहा हूं और उस जमाने में कबीर-पंथी, आर्य समाजी, सिद्व आदि बडी सामजिक संस्थाएं थीं जो इन चीजों के खिलाफ प्रचार करती थीं, लेकिन आज समाज में प्रचारक समाप्त हो गए हैं। प्रचारक इसलिए कम हो गए हैं कि समाज ने उनका सम्मान करना छोड़ दिया है, देशवासियों ने उनका सम्मान करना छोड़ दिया है। आज जो चोर, डकैत, बदमाश, गुंडा, लुच्चा, लफॅगा, अय्याश, बदकार, शराबी, कबाबी और माफिया होगा, वह समाज में इस जाति का, वर्ग का प्रचारक और उसका कमांडर बन गया है। इसलिए आज सामाजिक कार्यकर्त्ता कोई समाज में रहा नहीं। तो मेरी प्रार्थना है दूसरी आपसे एक तो यह कि हम स्वयं इसका अनुसरण करें और हम लोग तम्बाकू का सेवन छोड़ें और इसके अलावा जो सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संस्थाएं, जो इस प्रकार का प्रचार कर रही हैं, उनको प्रोत्साहन दें, उन सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का सम्मान करें, उनकी जो सिफारिशें अच्छे काम के लिए हों, वे मानें।

आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने यहां पर यह निर्णय लिया था, जो पिछली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, कि कार्यालयों की हदों के अंदर कोई सिगरेट नहीं पीएगा। मैं फेलेरियो साहब को बताना चाहता हूं कि ओर जगह हो गया ठीक है, इसी प्रकार से हमारी यह सरकार इतना तो फैसला ले ले कि पार्लियामेंट की हद के अंदर कोई सिगरेट, बीडी नहीं पिएगा, गुटाका नहीं खाएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खॉ या मिनिस्टर को अगर गुटका खाना है तो पार्लियामेंट छोड़कर अपने घर चला जाए और वहा जाकर खाए। कम से कम हम वह फैसला तो लें कि जहां से पार्लियामेंट का कैम्पस शुरू होता है, उसके भीतर कोई सिगरेट नहीं पिएगा, टॉयलेट्स के अंदर भी नहीं पिएगा ....(व्यवधान).... Take it seriously. Don't cut jokes. Whatever I say, 1 say it very seriously, from the core of my heart... *(Interruptions)..*

श्री जीवन राय (पश्चिमी बंगाल): गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटम्प्लेट कर रही है और कुछ मल्टी-नेशनल कंपनियों को 100 प्रतिशत फॉरेन इन्वैस्टमेंट की इज़ाजत दे रही हैं तबाकू कल्टीवेश के लिए।

श्री संघ प्रिय गौतमः आपने तो एक नयी बहस छेड़ दी। एम ऐसे मुकाम पर पहुंच गए हैं कि न पिछे हट सकते हैं और न आगे जा सकते हैं। हम बहुत सी ऐसी चीजों के समर्थक हैं जो आप कहते हो लेकिन आप केवल राजनीतिक कारणों से कहते हो और हम अपनी कठिनाइयों, दरिद्रता और व्यवहारिकता के कारण कहते हैं।

SHRI JIBON ROY: Mr. Vice-Chairman, Sir, I draw the attention of the hon. Member to the fact that the Government of India is considering a proposal for a 100 per cent foreign investment on tobacco cultivation... *(Interruptions)*

श्री संघ प्रिय गौतमः उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दवे जी द्वारा प्रस्तुत सिगरेट (उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) संशोधन विधेयक, 1997 का समर्थन करता हूं।

SHRI EDUARDO FALEIRO: Sir, the hon. Member, Shri Gautam, has made a very useful suggestion regarding smoking. Before we start with the entire world, at least in Parliament, smoking should not be permitted within the Parliament premises. We are coming out with various laws like, say, MPs should not have more than two children. This is an old-fashioned one. But, in the case of smoking, if anybody wants to smoke, he can go outside this little gate, into the open air, and smoke. Let us take it very seriously. It is a very important matter. Kindly convey the feelings of the hon. Member, which, I think, is shared by the entire House, to the General Purposes Committee for appropriate directions.

श्री रामजीलाल (हरियाणा): मैं इसका समर्थन करता हूं। इसको करना चाहिए।

श्री शरीफ-उद्दीन शारिक (जम्मू और कश्मीर): क्या फिज़ूल बात का समर्थन करते हो। रिश्वत पर बात नहीं करते....(व्यवधान).... मैं भी सिगरेट पीता हूं।

श्री रामजीलालः पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए।

श्री ललित भाई मेहता (गुजरात): महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। ऑब्ज़र्वर में "Tobacco-the death trap" एक आर्टिकल छपा था उसमें एक उल्लेखनीय बात यह कही गई थी कि "Passive samoking can have consequences as fatal as those of active smoking" अभी फेलेरियों जी जो बात कह रहे थे, उस बात पर अमल किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जो रेलवेंट पोर्शन है इसमें, वह मैं यहां पर पढ़ना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि "Passive smoking is a great risk for office workers in a closed environment. Most people in the cities spend a huge proportion of their time indoors and exposure to environmental tobacco smoke is a very serious health hazard. Passive smoking can lead to lung cancer, aggravated asthma, frequent colds, impaired childhood, physical and mental retardation and heart attacks. A study has shown that non-smokers, who live with smokers face a 35 per cent higher risk of getting lung cancer than people who don't

live with smokers. We have seen a number of young women with heart attacks, whose husbands were heavy smokers. And, recently, some non-smoking men were seen with heart attacks, whose wives were heavy smokers. "

उपसभाध्यक्ष जी, हमारी बहनों में भी टोबेको चुइंग और टोबेको स्मोकिंग का चलन बढ़ता जा रहा है। यह बहुत गंभीर बात है हमारी दृष्टि से और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं एक और बात यहां पर रखना चाहूंगा। जैसे दवे जी ने बताया कि 31 अक्तूबर सारी दुनियां में 'नो टोबेको डे' ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो फेलेरियों जी ने जो बात कही है इसको ध्यान में रखते हुए सभी पब्लिक प्लेसेज में टोबेको चुंइग और टोबेको स्मोकिंग को प्रतिबंधित किया जाए। इस दृष्टि से मैं दवे जी के बिल का समर्थन कर रहा हूं।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI N. T. SHANMUGAM): Mr. Vice-Chairman, Sir, the hon. Member, Shri Anantray Devshanker Dave brought forward this Bill for prohibiting the consumption of gutkha and khaini by people. For this purpose, he has proposed an amendment in the Cigarettes (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act. 1975, extending its application to other tobacco products like gutkha and khaini. This Act would, therefore, apply not only in the case of cigarettes, but also to other tobacco products like gutkha and khaini. The other clauses he wants to introduce are Clauses 3(a) and 3(b) in the principal Act. These relate to prohibition of blending and treating of tobacco products including cigarettes, gutkha and khaini with narcotics and other psychotropic substances. Shri Dave has also proposed the enhancement of the rigorous imprisonment for those who indulge in mixing and blending of narcotic drugs — that is, imprisonment for a period of ten years, with a fine which may extend to ten lakhs of rupees. He has also proposed prohibition of sponsorship of sports events by manufacturers of cigarettes and other tobacco products. He said advertisements of all such products should not be allowed to be broadcast and telecast on television and other media. Shri Dave has also proposed that the size of the print of the statutory warning printed on cigarette packets, "Smoking is injurious to health", should be increased from the present 3 mm. to 5 mm. The hon. Member also mentioned that one lakh people die every year due to the use of tobacco and its other products like gutkha and khaini. This is one of the main causes for cancer and other respiratory diseases which people have. The USE of

tobacco also brings early death to its consumers. The four hon. Members who took part in this debate said that fifty per cent of the people of India are consuming tobacco and its products. There is no such illusion. The Government is opening cancer hospitals. These hospitals will not be of much help to those people who have already got cancer and other diseases. The Government has already intensified its efforts to discourage people from tobacco consumption. Under the administrative instructions, tobacco smoking is prohibited in hospitals, dispensaries and other health care establishments, domestic air flights, air-conditioned chaircars, air-conditioned sleeper coaches in trains, suburban trains and air-conditioned buses, under the control of the Government of India. Smoking has also been prohibited at public places and public conveyance in the National Capital Territory of Delhi. In addition, the following measures have been taken to discourage the consumption of tobacco:

(1) As per the Cigarette (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1975, it is mandatory to display health warning on all cartons, packets, of cigarettes.

(2) Under the Prevention of Food Adulteration Act Rules, 1955, a warning "Chewing of tobacco is injurious to health." is mandatory on tobacco products.

(3) Direct advertisements relating to tobacco- or tobacco related products are prohibited on Doordarshan and All India Radio. The Ministry of Information and Broadcasting has informed us that the satellite channel operators have also expressed their willingness, to come forward with their self-regulated code for advertisements of such products. The Government has advised the State Governments to discourage consumption of products containing chewing tobacco, including *gutkha.* They have also been advised to ensure that tobacco products are not sold around educational institutions, such as schools and colleges.

(4) In the field of health education, under the National Cancer Control Programme, emphasis is being given to awareness on early detection of cancer. The law relating to production, supply and distribution of industrial products is under Entry No. 26 of the State List. The Parliament is, therefore, only competent to enact law relating to cigarette, and not other forms of tobacco products. The major portion of tobacco products, which is the subject- matter of the present Bill falls within the

jurisdiction of the State Assemblies. Only one form of tobacco product, namely, cigarette, is within the jurisdiction of Parliament. Therefore, Parliament is not competent to enact legislation on *gutkha* and *khaini,* which is covered by Entry 26, Seventh Schedule 7 of the Constitution. However, in view of the provisions contained in article 252(1) of the Constitution, Parliament would be competent to enact a law in respect of tobacco products for those States which adopt the law passed by Parliament, by passing a resolution by the House of the State, or, where there are two Houses, by each House of the Legislature of the State. The amendments and additional proposals in the Bill are inadequate. The Government is considering a proposal to bring forward a comprehensive legislation against the use of tobacco in the country. The State Legislatures of Uttar Pradesh, West Bengal, Goa and Punjab have passed resolutions to adopt the Central Government legislation on the subject. The Ministries are ajso examing as to what steps can be taken to discourage the use of chewing tobacco, including *gutkha* and *khaini.* The Department of Health is, therefore, of the view that the Government should oppose the Bill in Rajya Sabha. Therefore, I request the hon. Member to w ithdraw the Bill.

SHRI EDUARDO FALEIRO. : Sir, I have to seek some clarifications from the Minister. The hon. Minister said that there are many instructions for prohibiting smoking at public places, educational institutions, etc. I can say with full responsibility that as far as educational institutions are concerned, I myself have seen, one metre away from the gates of educational institutions, kiosks selling various things, including cigarettes. We need to reiterate these instructions to all concerned. Will the hon. Minister impress upon all concerned to strictly enforce these instructions? Because, laws may be there. The problem is not with the laws. There is never any problem with the laws, but the problem is with regard to implementation of the laws, which is never there. There are plenty of laws, but no implementation. Please implement them. Two, will you now, as a symbol of your commitment to this cause — which you have said, you have — just ensure that in your own Central Government Offices, there is no smoking? Kindly do it, to begin with. Three; circulate all these things to all the States so that this type of ideas are implemented. Four, kindly bring a legislation — as a Minister, you say that you are going to bring — with a sense of urgency. We are talking of education and of bringing laws. But nothing neither in this House nor in the other House, is ever brought out —

whether on education or health. So, kindly bring this legislation in the next Session of Parliament and oblige the people of this country.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: The Kerala High Court has given an order...

SHRI N. THALAVAI SUNDARAM (Tamil Nadu): Recently, there was a judgment from the Kerala High Court. The judgment was to give effect to ban smoking in public places. One writ petition is pending before the Chennai High Court. Some are filing petitions for banning smoking in public places. In the Chennai High Court, a Public Interest Litigation was filed and it is pending. In certain other areas, some people have filed a petition for allowing smoking in public places. We are not able to understand the situation in our country. I would like the hon. Minister to take necessary steps to prevent smoking.

श्री अनन्तराय देवशंकर दवेः उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बातें कही हैं, मैं मानता हूं कि वे गुटका और खैनी के लिए कोई प्रावधान नहीं कर सकते हैं लेकिन फलेरियो जी, गौतम जी और ललित भाई ने कही हैं और अच्छे सुझाव दिए हैं। मैं मानता हूं कि आज तक जो एडवरटाइज्मेंट लेटर की साइज है वह तो आपके इस एक्ट में हैं, सरकार उसे पढ़े। दूसरे, हमारा देश इल्लिटरेट है

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि)ः वह तो बोले हैं।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवेः वह जवाब नहीं दे रहे हैं। लेटर की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे देश के गांवों में लोग अनपढ़ हैं।

मेरा सजेशन यह है कि गांवों में जो लोग अनपढ़ हैं वे पढ़ तो नहीं सकते। आप कम से कम इतना तो एश्योरेंस दें कि आप ऐसा लेजिलेशन लाएंगे।

मेरा दूसरा सवाल यह हैं कि स्पोर्ट्स अथोरिटी आफ इंडिया सरकार का है, ऐसा कमिटमेंट बाहर की दुनिया वालों से न करें कि यहां के प्लेयर्स लोगों लगाकर दुनियाभर में खेंलें। इतना एश्योरेंस आप हमें दे दीजिए। ये चीजें करनी है कि जो खिलाडी खेलते हैं वे बडी-बडी कम्पनियों से पैसे लेकर वहां का लोगों ने लगाएं और उनका लोगों लगा चित्र न दिखाएंगे, यह एश्यारेंस दें तो मैं अपना बिल वापस ले लूंगा।

SHRI N.T. SHANMUGAM: The hon. Member have given good suggestions, so far as the illiterate people, those who are using tobacco or *khaini,* are concerned. Therefore, his suggestion would be considered when a comprehensive legislation is brought forward. Valuable views and suggestions of other Members also will be considered in the new legislation. I, therefore, request the hon. Member to withdraw his Bill.

SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Sir, I would like to withdraw the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Does the hon. Member have the permission of the House to withdraw his Bill?

The Bill was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Dr. Mohan Babu - Absent. Shri E. Balanandan - Absent. Shri S. Ramachandra Reddy.

THE HANDLOOM WEAVERS (VIABLE WORKING CONDITIONS AND OTHER WELFARE MEASURES) BILL, 1998

SHRI SOLIPETA RAMACHANDRA REDDY (Andhra Pradesh): I move:

'That the Bill to provide for the viable working conditions for the handloom weavers by assuring subsidized regular supply of yarn and other raw materials, interest free consumption loans, insurance for the handlooms and the weavers, loans at nominal rates for purchasing yarn and other raw material from the Banks and other financial institutions, making it mandatory for the Governments and their departments to purchase its cloth requirements from primary handloom weavers and their co-operatives, and for certain other welfare measures to be undertaken by Central and State Governments and for matters connected therewith and incidental thereto be taken into consideration."

SHRI JIBON ROY(West Bengal): Sir, it is an important Bill concerning the whole Nation .*(Interruptions)..* The Minister concerned must be here to hear him...*(Interruptions)...*